

राजस्थान सरकार  
न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा  
पीठारसीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइओएओएस

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 60/2023

प्रार्थी-

बनाम

अप्रार्थीगण-

ज्वारसिंह उर्फ जवाहर सिंह पुत्र  
जालमसिंह, निवासी पचपदरा,  
तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा  
जरिये मुख्तयारनागा धारक  
महेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह जाति  
राजपुत, निवासी हाथमा, तहसील  
रामसर, जिला बाड़मेर

1. रारपंच, ग्राम पंचायत पचपदरा  
शिटी, तहसील पचपदरा, जिला  
बालोतरा
2. श्रीमती पारवती पत्नी देवीलाल  
खारवाल निवासी पचपदरा,  
तहसील पचपदरा, जिला  
बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1996 विरुद्ध पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 जो  
अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया  
गया।

उपस्थिति :-

1. श्री मोहनलाल विश्‍नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जेठाराम सिंघल अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी  
पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 के विरुद्ध दिनांक 21.07.2022 न्यायालय  
जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत  
की गई है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि  
अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में  
राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम  
पचपदरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.  
12.1999 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के  
संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 700 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ोस  
बदिशा उत्तर में रोड़, व 60 फीट, बदिशा दक्षिण में पुष्पा देवी पत्नी ईश्वर  
खारवाल व 60 फीट, पूर्व में ईश्वर दयाराम व 105 फीट, पश्चिम में आम रास्ता  
व 105 फीट आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान  
पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त



Page 1 of 7

जिला कलक्टर  
बालोतरा

पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के खास मुखत्यार महेन्द्रसिंह जो जमीनों की खरीद फरोक्त का व्यवसाय करता है। खास मुखत्यार को निगरानी पेश करने का कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी जवारहसिंह तृतीय पक्षकार हैं एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा संख्या 286 मिसल संख्या 383 दिनांक 27.09.1999 को जारी किया गया था। प्रार्थी के द्वारा अपनी निगरानी में मौके की स्थिति में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है एवं पूर्व में चले विवाद के तथ्यों को भी छिपाया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में वर्ष 1999 में जारी पट्टे को चुनौती देते हुए वर्तमान निगरानी वर्ष 2022 में लगभग 24 वर्ष बाद पेश की गई है, जो स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की भूमि पर कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी के द्वारा एक फर्जी खास मुखत्यारनामा दिनांक 07.06.2022 को एवं बिना बदल का फर्जी व कुटरचित बेचान इकरारनामा दिनांक 08.06.2022 को तकमील किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना कब्जे के भूखण्ड पर निर्मित परिसर को हड़प करने की नियत से ही उक्त फर्जी व झूठी मिलावटी कार्यवाही की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने यह भी जवाब में कथन किया कि प्रार्थी जवाहरसिंह के तथाकथित खरीददार मुखत्यार महेन्द्रसिंह के द्वारा श्री उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक झूठी शिकायत दिनांक 30.01.2024 को पेश की गई कि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रार्थी के खरीद सुदा भूखण्ड पर सी सी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे तत्काल रूकवाया जावे, जिस पर श्री उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा तत्काल कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 30.01.2024 को कमेटी का गठन कर मौके की स्थिति की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में महेन्द्रसिंह की शिकायत मिथ्या व सारहीन होना पाई गई।
5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायती राज के नियम 157(2) के तहत मिसल संख्या 383 दिनांक 27.09.1999 कायम कर पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 को जारी किया गया है। प्रार्थी की स्वयं का पैतृक कब्जे का रहवासी परिसर आलोच्य प्लाट पचपदरा गांव की आवादी भूमि पर आया है। जिसका नाम 40 गुणा 100 फीट का है। जिसके पड़ोस पूर्व में आम रास्ता



15 फीट, पश्चिम में भी गंगासिंह पुत्र केसरसिंह का परिसर, उत्तर में जोधपुर जाने वाली पक्की सड़क व दरवाजा तथा दक्षिण में रास्ता 15 फीट स्थित है। उक्त नाप व पड़ोस का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 125 दिनांक 31.01.1981 को कायम कर पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.10.1981 को जारी किया था, जो आज भी मौजूद है। प्रार्थी के नाम से जारी पट्टे के परिसर का एक अन्य पट्टा करीब 18 वर्ष बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 को जारी किया गया है, उसे जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए वास्तविक काबिज एवं स्वामित्वधारी व्यक्ति अर्थात् प्रार्थी को बिना सुन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से जारी किया है। उक्त पट्टा वास्तविक तथ्य छुपाकर गलत रूप से स्वयं का पुराना कब्जा न होने के पश्चात भी पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का उक्त स्थल पर पिछले 60 वर्षों से कब्जा स्थापित है। अप्रार्थी संख्या 2 के भाई जो कि सेवानिवृत्त भू-निरिक्षक एवं गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण अपने प्रभाव का गलत प्रयोग करके अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत करते हुए गलत रूप से पट्टा जारी करवाया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड कय/पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ भूमि पर पुराना कब्जा होने के दस्तावेज पेश करने होते हैं, किन्तु आलोचित पट्टा जारी करने में नियमों की अनदेखी की है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नाम जारी करवाए आलोचित पट्टे में तत्कालीन ग्राम सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं हैं, मात्र सरपंच के हस्ताक्षर से आलोचित पट्टा जारी करवाया है। प्रार्थी को जारी पट्टे के नाप व पड़ोस तथा प्रार्थी के पास में काबिज पट्टाधारक श्री गंगासिंह पुत्र केसरीसिंह के नाम से जारी पट्टे के नाप व पड़ोस से यह पूर्णतः स्थापित है कि मौके पर प्रार्थी व प्रार्थी के पड़ोसी गंगासिंह वर्ष 1981 से काबिज है। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 03.10.1981 को जारी करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत पचपदरा की आम बैठक दिनांक 23.09.1981 में प्रस्ताव संख्या 11 के तहत सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 ने जो पट्टा जारी करवाया है, उक्त पट्टे का प्रारूप नीलामी की प्रक्रिया के तहत जारी पट्टे का है, लेकिन उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी की प्रक्रिया नहीं अपनायी गई, क्योंकि पट्टे में नीलामी की प्रक्रिया का पद संख्या 2 पर कौंस करते करते हुए पट्टा भूमि की बाजार दर 200/- रुपया निर्धारित कर अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त कर जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवारजन प्रभावशाली व पहुंच वाले व्यक्ति है, जिन्होंने अपने प्रभाव से प्रार्थी के पट्टासुद भूखण्ड का पट्टा जो प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे के 18 वर्ष बाद में जारी करवाया है, जो



पंचायतीराज के प्रावधानों के विपरित व नियमानुसार जारी नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी पार्वतीदेवी के आवेदन में कब्जा सुदा प्लॉट (वाड़ा) का पट्टा दिलाने बाबत आवेदन किया गया है। जिससे प्रमाणित होता है कि आवेदन करते समय कोई निर्माण/मकानात उक्त प्लॉट के उपर नहीं था। जबकि भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत ने पट्टा कार्यवाही विवरण में 20 वर्ष पुराना कब्जा और आवास के आधार पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत निर्मित कच्चा मकान दर्शाते हुए 200/- रुपये की राशि जमा करवाकर नियम 157 (2) के अन्तर्गत जारी होना दर्शाया गया है। बयान फार्म में मिसल में पेज संख्या 5, 6 पुष्पादेवी दोनो के बयानों में दिनांक पार्वतीदेवी अंकित नहीं है। जिससे बयान कब हुए इसकी पुष्टि नहीं होती है। वार्ड पंचों की रिपोर्ट कब ली गई, इसकी भी पुष्टि नहीं है। पत्रावली में आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र के तीन वार्ड पंचों की समिति के द्वारा नियम 258 रा.प. न्याया प. नियम 1961 की अधीन आबादी भूमि के विक्रय के संबंध में जांच रिपोर्ट है। 1996 के लागू होने के पश्चात उक्त सामान्य नियम 1961 निष्प्रभावी हो चुका है। निरीक्षण प्रपत्र में भूमि का कोई विवरण अंकित नहीं है न ही पट्टा की मिसल संख्या का विवरण अंकित किया गया है। भूमि रिपोर्ट में 700 वर्गगज भूमि होना अंकित है, जिसका नक्शा संलग्न होना बताया है। जो कि पत्रावली में संलग्न नहीं है। इस प्रकार उक्त पट्टा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

7. विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम के तहत उक्त निगरानी स्वयं प्रार्थी ज्वारसिंह ने पेश नहीं की है, बल्कि महेन्द्रसिंह को खास मुख्त्यार बताकर पेश की है। लेकिन खास मुख्त्यार को निगरानी पेश करने का कोई विधिक हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा संख्या 286 दिनांक 27.09.1999 को जारी किया गया था, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टे के विरुद्ध 24 साल के बाद चुनौती दी गई है। प्रार्थी की निगरानी म्याद बाहर होने से अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे को चुनौती देने का कोई हक अधिकारी नहीं है। साथ ही लगभग 24 वर्ष बाद पेश की गई है, जिससे निगरानी म्याद बाहर होने से भी स्पष्ट रूप से काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी के नाम जारी पट्टा में नाप व पडौस एवं अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे के नाप व पडौस से मिलान नहीं होते हैं, इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के पट्टे को प्रार्थी द्वारा चुनौती नहीं दे सकता। प्रार्थी के आवेदन पत्र में गंगासिंह को पडौस में अंकित नहीं है, जबकि पट्टे में गंगासिंह को पडौस में दर्शाया गया है। गंगासिंह व ज्वारसिंह मौके पर पडौसी भी नहीं है। पत्रावली में प्राप्त



मौका रिपोर्ट में कांट छाट की गई है। गंगासिंह के वारिसान ने प्लॉट को दो बार बैचान कर दिया। वर्तमान में मौके पर गंगासिंह का कब्जा है न की ज्वारसिंह का है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की भूमि पर कोई हक अधिकार व कब्जा नहीं रहा एवं प्रार्थी व खारा मुखत्यार श्री महेन्द्रसिंह के द्वारा गिलावट, साजिश व षडयंत्र करके अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना व कब्जे के भूखण्ड को बैचान करने के संबंध में एक तथाकथित रूप से फर्जी बैचाननामा प्रार्थी के द्वारा श्री महेन्द्र सिंह के हक में पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना व कब्जे के भूखण्ड पर पक्का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी व उसके सहयोगियो द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना व कब्जे के भूखण्ड पर तोड़ फोड़ की गई। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के मालिकाना व कब्जे के भूखण्ड को कुर्क करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 145-146 सी आर पी सी के तहत इस्तगासा उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा में पेश किया गया। पुलिस थाना पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा बताया गया नाप व पड़ोस का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं रहा व न ही था। प्रार्थी के हक में तथाकथित पट्टे की भूमि पर वर्तमान में श्री गंगासिंह के खरीददार धनसिंह की पक्की ईमारते बनी हुई है। प्रार्थी के द्वारा उसके हक में जारी पट्टे के नाप व पाड़ोस पूर्ण रूप से श्री गंगासिंह के खरीददार धनसिंह के मौके पर काबिज नाप व पाड़ोस पूर्ण रूप से मिलान होते हैं। जिससे यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी के तथाकथित पट्टे की भूमि पर धनसिंह का कब्जा व परिसर निर्मित है। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की कोई जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 को नहीं है एवं प्रार्थी स्वयं के द्वारा अपनी निगरानी में पट्टे के जो नाप व पड़ोस लिखे हैं, वो नाप व पड़ोस अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टे के नाप व पड़ोस से मिलान नहीं होते हैं। प्रार्थी जवाहरसिंह के तथाकथित खरीददार मुखत्यार महेन्द्रसिंह के द्वारा श्री उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक झूठी शिकायत दिनांक 30.01.2024 को पेश की गई कि ग्राम पंचायत के द्वारा प्रार्थी के खरीद सुदा भूखण्ड पर सी सी रोड़ का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसे तत्काल रूकवाया जावे, जिस पर श्री उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के द्वारा तत्काल कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दिनांक 30.01.2024 को कमेटी का गठन कर मौके की स्थिति की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में महेन्द्रसिंह की शिकायत मिथ्या व सारहीन होना पाई गई। इस प्रकार प्रार्थी ने गलत पैमाइस के आधार पर वर्तमान निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत पचपदरा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बहुत वर्षों से कब्जाशुदा प्लाट (वाड़ा) भूखण्ड का नियम 157 में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण दिनांक 27.09.



1999 को दर्ज कर 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठन करने हेतु एवं सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने हेतु आदेशिका जारी की गई, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा पत्रावली में आलोच्य पट्टा संबंधित नजरी नक्शा पेश नहीं किया गया, और न ही आवादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र में आलोच्य पट्टा की गिराल संख्या का विवरण अंकित किया गया है। साथ ही पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने होते हैं, लेकिन उक्त नोटिस संबंधित स्थल एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जाने विवरण अंकित नहीं है और न ही नोटिस चरपा करने का कोई हस्ताक्षर भी अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस का सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशन नहीं किया गया है, बल्कि औपचारिक रूप से जारी कर शामिल पत्रावली रखा गया है। पंचायती राज के नियमानुसार विक्रय विलेख के संबंध में पुराने कब्जे की पुष्टि हेतु दो वयान अपने पड़ोसी के होने चाहिए, लेकिन उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित वयान फार्म अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं ने पुराने कब्जे की पुष्टि की गई एवं साथ ही वयान फार्म में दिनांक भी अंकित नहीं है कि वयान कब दिये गये हैं, इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी आदेशिका में अंकित अनुसार दिनांक 13.12.1999 को प्रार्थी का पुराना कब्जा मकान निर्मित का हवाला देते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम संख्या 157(2) के अनुसार निर्धारित राशि रूपये 200/- कोष में जमा कराते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 ने आवेदन करते समय आवेदन पत्र में बहुत ही वर्षों से प्लॉट (वाड़ा) का अंकित करते हुए पेश किया गया है और प्रार्थी ने अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पचपदरा ने पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) "इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु" की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पचपदरा से तलब किया गया आलोच्य पट्टा संबंधित मिसल संख्या 383 दिनांक 27.09.1999 एवं पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा का प्रारूप 23 नियम 167(1) के तहत जारी किया गया, जो कि निलामी का प्रारूप है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी आदेशिका में अंकित अनुसार दिनांक 13.12.1999 को प्रार्थी का पुराना कब्जा मकान निर्मित का हवाला देते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम संख्या 157(2) के अनुसार निर्धारित राशि रूपये 200/- कोष में जमा कराते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 167(1) नियम 153 व 154 में उपबंधितानुसार "जिस व्यक्ति ने अंतिम



सबसे उंची बोली लगायी हो व बोली की रकम का 10 प्रतिशत स्थल पर ही तुरंत और 15 प्रतिशत चौबीस घंटों के भीतर तथा अतिशेष 60 दिवस के भीतर भीतर जमा करायेगा की भी पालना भी नहीं की गई। इस प्रकार पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आलौच्य पट्टा विलेख किस नियम के अधीन जारी किया गया है। इस प्रकार आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत की आदेशिका एवं पट्टा जारी प्रारूप में एकरूपता नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आलोच्य पट्टा कुट्टरचित एवं बिना विधिसम्मत जारी किया गया है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 जारी किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 पार्वतीदेवी के नाम जारी पट्टा संख्या 286 दिनांक 26.12.1999 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुशील कुमार)

जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर  
बालोतरा